



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1947 (श10)

(सं० पटना 1334) पटना, सोमवार, 11 अगस्त 2025

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

11 अगस्त 2025

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) आदेश, 2025

सं० प्र०-04-पी0डी0एस0-01/2015/1897 खाद्य—बिहार सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा-3 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016” का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –
 - इस आदेश का संक्षिप्त नाम “बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) आदेश, 2025” होगा।
 - यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
- बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका-14(vi) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-14(vi) राशन कार्डधारियों के अभिलेखों यथा-खाद्यान्न उठाव की विवरणी एवं अनुज्ञप्तिधारी के अभिलेखों अर्थात् स्टॉक रजिस्टर, निर्गम या विक्रय रजिस्टर एवं अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण विहित इलेक्ट्रॉनिक रीति में होगा, जिसे संबंधित विभागीय पोर्टल पर देखा जा सकेगा।
- बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका-14(xiii) (क)(ख) एवं (ग) को विलोपित किया जाएगा।
- बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका-15(i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-15(i) (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान मार्च से अगस्त तक 07:00 बजे पूर्वाह्न से 01:00 बजे अपराह्न तक तथा सितम्बर से फरवरी तक 08:00 बजे पूर्वाह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक खुली रहेगी। (ख) प्रत्येक सोमवार, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर के साथ होली, छठपूजा, दुर्गापूजा (नवमी एवं दशमी) तथा ईद को राज्य में कार्यरत उचित मूल्य की दुकानें बन्द रहेगी।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार,
प्रधान सचिव।

The 11th August 2025**Bihar Targeted Public Distribution System (Control) (Third Amendment) Order, 2025**

सं० प्र०-०४-पी०डी०एस०-०१/२०१५/१८९७ खाद्य—In exercise of the powers conferred by Section-3 and 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Government of Bihar hereby makes the following order to amend the "Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016", Namely :-

1. Short title and commencement - (1) This order may be called the "Bihar Targeted Public Distribution System (Control) (Third Amendment) Order, 2025"

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Para 14(vi) of Bihar Targeted Public Distribution (Control) order, 2016 shall be substituted by following :-

"14(vi) The records of ration cards holders, such as-food grains lifting details, and the records of license holders i.e Stock Register, Issuance or Sell Register and other records -shall be maintained electronically. Which can be viewed on relevant departmental portal."

3. Para 14(xiii) (a)(b)&(c) of Bihar Targeted Public Distribution (Control) order, 2016 shall be omitted.

4. Para 15(i) of Bihar Targeted Public Distribution (Control) order, 2016 shall be substituted by the following :-

"(a) A Fair Price Shop shall be kept open from 07.00 A.M to 01.00 P.M from March to August and from 08.00 A.M to 02:00 P.M from September to February.

(b) Functional FPS shops in State shall be closed on every Monday, 26th January, 15th August, 2nd October along with Holi, Chhath Puja, Durga Puja (Navami and Dashami) and Eid."

By the order of the Governor of Bihar,
Pankaj Kumar,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 1334-571+100-डी०टी०पी०

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>